राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या.....257/2014..... जिला .....अजमेर.....

उनवान : श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री हरिशंकर शर्मा, निवासी चामुण्डा चौराहा, फॉयसागर रोड़, अजमेर

बनाम

1. उप–पंजीयक, अजमेर
2. श्रीमती ज्योति किरण अग्रवाल पत्नी श्री द्वारकादास अग्रवाल निवासी एल–24, सागर विहार कॉलोनी वैशाली नगर, अजमेर बहैसियत मुख्त्यारआम पंकज अग्रवाल पुत्र श्री द्वारकादास अग्रवाल निवासी 450 ओक गौरव, डॉ0 अपार्टमेन्ट, सान्ता क्लेरा सी0 ए0–95054, यू.एस.ए.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.2014	**एकलपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** यह कथित निगरानी प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिनांक 20.02.2014 को रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निगरानी अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) विरूद्ध उप पंजीयक, अजमेर के पंजीयन आदेश दिनांक 29.08.2011 प्रस्तुत की गई। रजिस्ट्री द्वारा कमी पूर्ति के 2 (दो) ऐतराज अंकित करते हुए आदेशिका दिनांक 20.02.2014 में लिखा है कि– 1. **क.मु. के आदेश की मूल प्रति संलग्न नहीं है। क्योंकि 65 में क.मु. के आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश की जाती है।** 2. **विवादित राशि की 25% जमा की रसीद संलग्न नहीं है।** कमी पूर्ति हेतु एतराजो को विद्वान अभिभाषक श्री सी.पी.शर्मा को नोट कराये जाने के उपरान्त भी कमी पूर्ति नही की गई, इसलिए प्रकरण पीठ के समक्ष वास्ते एडमिशन/आदेशार्थ पेश हुआ है। उभय पक्ष की बहस निगरानी की ग्राहयता पर सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया श्री सी. पी. शर्मा ने कथन किया कि प्रार्थिया निष्पादित दस्तावेज की प्रथम पक्ष विक्रेता है। उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज पर उप पंजीयक ने विवादित दस्तावेज की मालियत घोषित मूल्य रूपये 3,00,000/– से बढ़ाकर रूपये 17,63,309/– मानते हुए कमी मुद्रांक व कमी पंजीयन शुल्क कुल रूपये 1,04,930/– की वसूली कर ली। यह वसूली विधि विरूद्ध होने के कारण उप पंजीयक के दिनांक 24.08.2011 अन्तर्गत मुद्रांक अधिनियम की धारा 54 के तहत मल्कियत निर्धारण आदेश को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत निगरानी वास्ते सुनवाई ग्राहय किये जाने का निवेदन किया है। प्रारंभिक ऐतराज के विषय में कथन किया कि यह निगरानी मुद्रांक अधिनियम की धारा 65(2) के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें उप पंजीयक के आदेश को भी Revise किया जा सकता है, इसलिए निगरानी माननीय कर बोर्ड के समक्ष सुनवाई योग्य है। यह भी कथन किया कि प्रार्थिया द्वारा विवादित मुद्रांक शुल्क मय पंजीयन शुल्क पूर्ण जमा कराया जा चुका है। इन आधारों पर निगरानी ग्राहय किये जाने पर बल दिया। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या.....257/2014..... जिला .....अजमेर.....

उनवान : श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री हरिशंकर शर्मा, निवासी चामुण्डा चौराहा, फॉयसागर रोड़, अजमेर

बनाम

1. उप–पंजीयक, अजमेर
2. श्रीमती ज्योति किरण अग्रवाल पत्नी श्री द्वारकादास अग्रवाल निवासी एल–24, सागर विहार कॉलोनी वैशाली नगर, अजमेर बहैसियत मुख्त्यारआम पंकज अग्रवाल पुत्र श्री द्वारकादास अग्रवाल निवासी 450 ओक गौरव, डॉ0 अपार्टमेन्ट, सान्ता क्लेरा सी0 ए0–95054, यू.एस.ए.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.2014	प्रत्यर्थी संख्या प्रथम के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. एस.राठौड़ ने कथन किया कि मुद्रांक अधिनियम की धारा 65(2) के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश/कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। उप पंजीयक द्वारा मालियत निर्धारण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 65(2) के अन्तर्गत निगरानी श्रवण योग्य नहीं है, इसलिए कथित निगरानी ग्राहय नहीं की जा सकती। लिहाजा ग्राहयता के बिन्दु पर ही निगरानी खारिज की जाये। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह कथित निगरानी उप पंजीयक द्वारा अधिनियम की धारा 54 के तहत मल्कियत निर्धारण आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अंधिनियम की धारा 65(2) को उद्धरित करना समीचीन होगा :– **65. Revision by the Chief Controlling Revenue Authority-** (1) ..... (2) The Chief Controlling Revenue Authority may suo moto or on information received from the registering officer or otherwise call for and examine the record of any case decided in proceeding held by the Collector for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of the proceedings and pass such order with respect thereto as it may think fit: इस प्रावधान के तहत कोई भी निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक) के स्तर पर पारित आदेश या किसी कार्यवाही को विवादित करते हुए कर बोर्ड स्वयं या उप पंजीयक या अन्य किसी की सूचना के आधार पर रेकॉर्ड तलब कर समुचित आदेश पारित कर सकता है। इस प्रावधान के तहत उप पंजीयक के मालियत निर्धारण आदेश जिसे क्रेता द्वारा स्वीकार कर राशि जमा करा दी गई हो, के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नही है। इसलिए कथित निगरानी कर बोर्ड स्तर पर ग्राहय नहीं होने के कारण सुनवाई हेतु स्वीकार नहीं की जा सकती। फलस्वरूप यह आवेदन/निगरानी अस्वीकार की जाती है निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 26/2/14	